

9/4/25

पत्रावली खाज् पेम्बु हुई। प्रार्थी व  
उन्के वकील अनुपासित। न्यायालय  
समय में रुक-रुक कर तीन बार आवामे  
लगाई गई बाक्यूड प्रार्थी व उन्के  
वकील गैर हाजिर रहे। अतः पत्रावली  
गैर हाजिरी एवं अडम पैरवी में खारिज  
की जाती है। पत्रावली में जल शुमार  
लेकर डाखिले इफ्तार से छव् नयबर  
से कम हो।



सहायक कलेक्टर  
(SDO) चौहटन

